कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, अशोकनगर (म0प्र0)

(E-mail – dfoanagrt@mp.gov.in Fax- 07443-221120, Ph- 07543-221120)

क्रमांक/डी.एम./19/3066 अशोकनगर, दिनांक 30 सितम्बर 2019

प्रति,

एस.डी.ओ.
बी.एस.एन.एल.,
स्टेशन रोड़, अशोकनगर (म0प्र0)

विषय :- **नेशनल ऑप्टीकल फाईबर नेटवर्क प्रोजेक्ट अन्तर्गत ओ.एफ.सी. केविल (भूमिगत) लाईन बिछाने बावत् । ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/36860/2018 (फुटेरा-मामोन)**

संदर्भ :- आपका पत्र SDO(T)/ASK/NoFN-Essagarh/Forest Permission/2019-20 दिनांक 08.08.2019

-0-

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके संदर्भित पत्र द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त Proposal No. **FP/MP/OFC/36860/2018 (फुटेरा-मामोन)** तक 0.1991 हे0 में भूमिगत ओ.एफ.सी.लाईन गुजारे जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । वन क्षेत्र में ओ.एफ.सी. लाईन गुजारे जाने का विवरण निम्नानुसार है :-

अनु. क्र.	स्थल का नाम	परिक्षेत्र	आरक्षित/ संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	भूमि की लम्बाई (मी.में)	भूमि की चौड़ाई (मी.में)	आवेदित क्षेत्रफल हे0 में	अक्षांश/देशांश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	फुटेरा से मामोन	अशोक नगर	मामोन	पी.एफ. -81 पी.एफ -83 पी.एफ. -84	300 1500 2625	0.45 0.45 0.45	0.1991	1- N-24⁰52'26.70'' E-77⁰57'10.7'' 2- N-24⁰52'22.70'' E-77⁰57'10.17'' 3- N-24⁰52'18.50'' E-77⁰57'11.5'' 4- N-24⁰50'54.24'' E-77⁰57'31.8'' 5- N-24⁰50'49.10'' E-77⁰57'32.9'' 6- N-24⁰50'33.30'' E-77⁰57'31.6'' 7- N-24⁰50'23.30'' E-77⁰57'33.6'' 8- N-24⁰50'13.40'' E-77⁰57'36.3'' 9- N-24⁰50'8.10'' E-77⁰57'36.1'' 10- N-24⁰50'3.70'' E-77⁰57'34.2'' 11- N-24⁰49'43.7'' E-77⁰57'40.29'' 12- N-24⁰49'26.7'' E-77⁰57'45.3'' 13- N-24⁰49'11.40'' E-77⁰57'43.6'' 14- N-24⁰48'55.0'' E-77⁰57'47.9'' 15- N-24⁰48'46.8'' E-77⁰57'54.5''
				योग -	**4425**	**0.45**	**0.1991**	

अतः म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्र0/ एफ-5-11/2006/10-3 दिनांक 31.05.2014 अनुसार 01 हे0 से कम के प्रस्ताव होने पर ज्ञाप में उल्लेखित शर्तों के अधीन एवं मुख्य वनसंरक्षक शिवपुरी वृत के पत्र पृ0क्र0/डी.एम./2019/3711 दिनांक 20.09.2019 से प्राप्त अनुमोदन उपरान्त वनक्षेत्र के अन्तर्गत मार्ग के किनारे भूमिगत ओ.एफ.सी. लाईन गुजारने की निम्न शर्तों के अधीन **सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की जाती है :-

1- भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात् प्रकरण संरक्षित वन का होने से वन भूमि संरक्षित वन ही रहेगी ।

2- उपयोगकर्ता अभिकरण व्यवपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र में जीव-जन्तु व वनस्पति को होने वाले नुक्सान के लिए जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित सभी आवश्यक उपाय भी करेगा ।

क्रमशः - 2 -

4069

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल (सा.) अशोकनगर

3- यह वनभूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी । भूमि प्रयोजनों में बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा ।

4- वनों के संरक्षण, अनुरक्षक तथा संबर्धन के हित में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तों का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जावेगा ।

5- वनक्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेंगे ।

6- उपयोगकर्ता अभिकरण से यह वचन पत्र दिया जावेगा कि वनसंरक्षण की दृष्टि से राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो वह मान्य होगी ।

7- Cable Line मुख्य मार्ग के किनारे एवं समानान्तर में ही डाला जावेगा । केविल की दूरी छोटा करने हेतु मुख्य मार्ग के किनारे को छोड़कर अन्य वन भूमि का प्रयोग नहीं किया जावेगा ।

8- वनक्षेत्र के अन्दर स्थित मुरम, मिट्‌टी एवं पत्थरों का उत्खनन नहीं किया जावे ।

9- समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकाली गई मिट्‌टी से किया जाएगा ।

10- समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्‌टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा ।

11- खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों एवं वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जावेगा ।

12- यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वनक्षति की राशि आवेदक संस्थान के द्वारा देय होगी ।

13- प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग के अधीन क्षेत्र में यदि जंगलकलां/जंगलखुर्द की भूमि प्रभावित होती है तो उसके लिए कलेक्टर द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।

14- कार्य करने वाले मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट जलाऊ लकड़ी शासकीय स्वीकृत डिपो से उपलब्ध कराई जावे । जिसकी राशि का समायोजन परियोजना की लागत में किया जावे ।

15- सूर्यास्त के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया जावे ।

16- निर्माण किये गये स्थान पर स्थाई बोर्ड आदि उपयुक्त स्थानों पर शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाये जावें।

17- उक्त कार्य में स्थानीय वन समिति के लोगों को मजदूरी हेतु प्राथमिकता दी जावे ।

18- यदि उक्त कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी या नियोक्ता (ठेकेदार) के द्वारा कार्य कराया जाता है तो उसका नाम, पते आदि की समस्त जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे ।

19- उक्त कार्य निर्धारित एलाईनमेन्ट के भीतर ही किया जावे । यदि स्वीकृत एलाईनमेन्ट के बाहर कार्य पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्व वन अधिनियम 1980 में विहत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाकर स्वीकृति निरस्त की जावेगी ।

20- निर्माण के दौरान अनुपयोगी मटेरियल को वनक्षेत्र में न डाला जावे ।

21- उपरोक्त स्वीकृति की अवधि जारी तिथि से 01 वर्ष के लिए ही वैध रहेगी । उक्त अवधि में कार्य को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में जारी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त होगी ।

क्रमशः - 3 -

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल ( ) अशोकनगर

22- राशि रू0 100/- का ई-चालान के माध्यम से जमा कराकर अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल कार्यालय में जमा कर उसकी एक प्रति इस कार्यालय में भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

23- उपरोक्त शर्तों का पालन प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत करें ताकि औपचारिक स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके ।

उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन पाये जाने पर दी गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी एवं वन संरक्षण अधिनियमों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी ।

O/c

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, अशोकनगर

पृ.क्रमांक/डी.एम/19/3067 अशोकनगर, दिनांक -30 सितम्वर 2019

प्रतिलिपि :-

01- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध कक्ष), म0प्र0 शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

02- मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत शिवपुरी की ओर आपके पत्र पृ0 क्र/डी.एम./2019/3711 दिनांक 20.09.19 के तारतम्य में सूचनार्थ संप्रेषित ।

03- कलेक्टर, जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

04- उप वनमण्डलाधिकारी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

05- वन परिक्षेत्राधिकारी, अशोकनगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । आप समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण करें एवं उल्लेखित शर्तों की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।

O/c

वन मण्डलाधिकारी,
सामान्य,वनमण्डल, अशोकनगर